①

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
बिहार, पटना
आदेश

पटना, दिनांक–.....................

सं0सं0–BS3-(संस्था)-14/2025 (Com. No. 494295)-589/बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के नियम 10, 11 एवं 12 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में सभी निबंधित संस्थाओं/एन0जी0ओ0 को वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, फॉर्म–एच0/सी0 तथा विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित प्रतिवेदन ऑनलाईन सिस्टम में जमा करने की सुविधा विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है।

1. राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के माध्यम से सभी संस्थाओं/एन0जी0ओ0 को विगत 05 वित्तीय वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, फॉर्म–एच0/सी0 तथा विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक–31.01.2025 के पूर्व विभागीय वेबसाईट–enibandhan.bihar.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया है।
2. इस हेतु विभागीय पत्रांक–8944 दिनांक–23.01.2025 के द्वारा **"SWADESHI KALA SANSKRITI KENDRA" (नि0सं0–S000732/2016-17), जिला–मुजफ्फरपुर** को नोटिस निर्गत किया गया।
3. उक्त पत्र के प्रसंग में श्री प्रभु राम (संस्थापक सचिव), "SWADESHI KALA SANSKRITI KENDRA" के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त संस्था के कार्यकारिणी सदस्य के द्वारा सदस्यता शुल्क की राशि जमा नहीं करने के साथ ही संस्था के अध्यक्ष द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र देने एवं कार्यकारिणी सदस्य द्वारा कार्यकलाप में रूचि नहीं लेने व बैंक खाता खोलने में सहयोग नहीं करने से संस्था का विकास रूपी कार्य बाधित हुआ, जिस कारण संस्था को बंद कर दिया गया। साथ ही उक्त संस्था का निबंधन रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया।
4. विभागीय पत्रांक–495 दिनांक–16.06.2025 के आलोक में श्री प्रभु राम (संस्थापक सचिव), "SWADESHI KALA SANSKRITI KENDRA" के द्वारा उक्त संस्था के गैर क्रियाशील होने होने के संबंध में शपथ पत्र समर्पित किया गया।
5. इससे स्पष्ट होता है कि "SWADESHI KALA SANSKRITI KENDRA" नामक संस्था वर्तमान में अस्तित्वहीन एवं निष्क्रिय होने के साथ ही बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 धारा के नियम–10(i) द्वारा विहित प्रतिवेदन जमा नहीं किया गया है।
6. उक्त वर्णित परिस्थिति में सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा–23 एवं बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के नियम 14 (घ) के आलोक में **"SWADESHI KALA SANSKRITI KENDRA" (नि0सं0–S000732/2016-17), जिला–मुजफ्फरपुर** नामक संस्था के निबंधन को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। अतएव

   (क) इस संस्था में कोई पदधारक या सदस्य अब संस्था के नाम से कोई भी कार्रवाई संचालित नहीं करेंगे।

   (ख) इस संस्था के किसी भी पदधारक या सदस्य द्वारा संस्था से संबंधित किसी भी बैंक खाते का संचालन नहीं किया जायेगा तथा किसी चल–अचल सम्पत्ति का क्रय/विक्रय का निष्पादन नहीं किया जायेगा।

(ग) जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर संस्था के चल–अचल सम्पत्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने अधीन लेते हुए प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे, ताकि इसके निष्पादन के संबंध में कार्रवाई की जा सके।

07. प्रस्ताव में निबंधन महानिरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(डॉ0 संजय कुमार)
उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– BS3-(संस्था)-14/2025 (Com. No. 494295)–589/ पटना, दिनांक–11.07.25

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02. सचिव, "SWADESHI KALA SANSKRITI KENDRA", प्रभु सांस्कृतिक सभागार, लकड़ीढ़ाही, चन्दवारा, पो0–प्रधान डाकघर, थाना–नगर, अंचल–मुशहरी, जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार–842001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03. विभागीय प्रोगामर, श्री प्रतीक भारद्वाज को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाय।

04. Project Manager, Terracis Technology Limited, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/07/25

उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

11/07/25